कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद
पत्रांक–2970/14–1 दिनांकः फिरोजाबादः 17 मार्च 2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

विषयः जनपद एटा के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी 186.00 से 229.00 तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 65.495 हे0 संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5798 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र 8B/UP/06/12/2018/FC/186 दिनांक 01–03–2018।
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र 2574/एटा एन0एच0 91/22374/2017 दिनॉक 06–03–2018।
3–आपका पत्रांक 1701/14–1 दिनांक 07 मार्च 2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या–6 पर निम्न आपत्ति की गई हैः–

6) As per GIS DSS analysis of proposed proposed compensatory afforestation, following issues need rectification:

a) Uploaded kml files for CA at 13(i)-3&4 are not accessible and showing error.

b) The extent of CA proposed suitable for plantation is 128 ha only. One 4 ha patch is a water body. An additional patch of extent more than 3 ha. is needed to meet the shortfall.

बिन्दु संख्या 6(a) प्रभागीय निदेशक, एटा से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 6(b) क्षतिपूरक वनीकरण के चयनित क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसके स्पष्टीकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़ के साथ उक्त आपत्ति से सम्बन्धित क्षेत्र **चन्द्रवार वन ब्लाक** का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16 मार्च 2018 को

किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के अन्दर कोई भी जल श्रोत यथाः नदी, नाला, तालाब आदि नहीं है। तथा इस चयनित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर यमुना नदी स्थित है तथा चयनित क्षेत्र नदी के HFL से काफी ऊँचाई पर स्थिति है तथा बीहण होने के कारण क्षेत्र में ऊँचे–ऊँचे टीलें हैं तथा बीहण क्षेत्र के अनुसार बरसात के पानी के बहाव हेतु छोटी–छोटी Gullies हैं वनीकरण के समय सिरीज में Earthen Check Dam बनाकर बीज बुवान कर वानस्पतिक उपचार से मृदा क्षरण को न्यून कर दिया जाता है एवं बीहण की मृदा को यमुना में प्रवाहित होने से रोक दिया जाता है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र क्षतिपूरक वनीकरण एवँ उसके प्रबन्धन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। उपरोक्त के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित शेष क्षेत्र भी क्षतिपूरक वनीकरण एवँ उसके प्रबन्धन हेतु उपयुक्त है।

भवदीय,

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद।

पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित की सेवा में प्रेषितः–
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
वन संरक्षक, आगरा वृत्त, उत्तर प्रदेश, आगरा।
महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, अलीगढ़।

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद।